



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 436]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सं.12/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि.594(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और जिसको सा.का.नि. 269(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.10/2018-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 मार्च, 2018, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "30 जून 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 680(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 8/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि.269(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.10/2018-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 मार्च, 2018, द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

No. 12/2018 – Central Tax (Rate)

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017 – Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017, and last amended vide notification No. 10/2018-Central Tax (Rate), dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 269 (E), dated the 23rd March, 2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30th day of June, 2018”, the figures, letters and words “30th day of September, 2018” shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L, Under Secy.

Note: - The principal notification No.8/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 680 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification No. 10/2018-Central Tax (Rate), dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 269 (E), dated the 23rd March, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

सं. 13/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.595(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सा.का.नि. संख्यांक 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 और जिसको सा.का.नि. 270(अ) तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2018- एकीकृत कर (दर), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "30 जून 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल.,अवर सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि . 1263(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 32/2017 एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 270 (अ), तारीख 23 मार्च , 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.11/2018- एकीकृत कर (दर), तारीख 23 मार्च, 2018, द्वारा किया गया था।